

प्रार्थना पत्र

सेवा में,

उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी,

.....जिला.....हि० प्र० ।

विषय : मुख्य मन्त्री ग्रीन हाऊस (पॉलीहाऊस) नवीकरण योजना के अन्तर्गत पॉलीसीट को बदलने हेतु प्रार्थना पत्र ।

श्रीमान जी,

मैं.....

सुपुत्र/ सुपुत्री/ पत्नी श्री..... गांव...

.....डाकघर.....तहसील...

.....जिला.....हिमाचल प्रदेश का / की स्थाई

निवासी हूँ । मेरी किसान पास बुक के अनुसार..... बीघा मलकीयत भूमि है जिसमें से बीघा भूमि फसल को उगाने के लिए उपयुक्त है । मैंने अपनी मलकीयत जमीन पर वर्ष में वर्ग मीटर का ग्रीन हाऊस (पॉलीहाऊस) कृषि विभाग, हि०प्र० के माध्यम से निर्माण किया था जो कि 5 वर्ष पुराना है / प्राकृतिक आपदा से पॉली सीट नष्ट हो गई है। अतः मैं उपरोक्त योजना के अन्तर्गत उपलब्ध ₹० प्रतिशत वित्तीय सहायता द्वारा ग्रीन हाऊस (पॉली हाऊस) की पॉलीसीट बदलना चाहता / चाहती हूँ । मैं इस बारे सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार से दे रहा/रही हूँ ।

1.	प्रार्थी का नाम व पूरा पता, दूरभाष न०	
2.	क्या प्रार्थी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखता है हां/ नहीं	
3.	क्या प्रार्थी गरीबी रेखा के नीचे { बी.पी.एल} से सम्बन्ध रखता है हां/ नहीं	
4.	कुल भूमि {किसान पास बुक के अनुसार }	
	क} सिंचित क्षेत्र	
	ख} असिंचित क्षेत्र	
5.	पानी का स्रोत	
6.	कुल भूमि जहां पॉलीहाऊस की सीट बदली जाएगी {खसरा न०} व कृषि विभाग की योजना का नाम जिसके अन्तर्गत पॉलीहाऊस बनाया गया है इस बारे कृषि विभाग की रिपोर्ट संलग्न करें।	

7.	योजना के अन्तर्गत निम्न मद के बारे में वित्तीय सहायता हेतु आवेदन, हां / नहीं स्पष्ट करें तथा विवरण।			
	1. पॉली हाऊस की सीट बदलने हेतु			
	{क} पॉलीहाउस का साईज व मॉडल।			
	{ख} कम्पनी (सेवाप्रदाता) का नाम व पता			
	{ग} पॉलीहाउस से वर्षवार आय का विवरण।	वर्ष	फसल	आय
8.	बैंक से ऋण लेना चाहता हूँ या नहीं। यदि हां तो बैंक का नाम, पूरा पता			

मेरे द्वारा ऊपर दी गई सूचना पूर्ण रूप से ठीक है तथा मैं योजना में दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूँ। अतः मैं आपसे अनुरोध करता/ करती हूँ कि मुझे क्रमांक 7 के अन्तर्गत दर्शाये गए मदों हेतु वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्रदान की जाये।

मैं यह भी सत्यापित करता/ करती हूँ कि उक्त पॉलीहाउस सीट बदलने हेतु मैंने किसी अन्य सरकारी विभाग / संस्था के अन्तर्गत चलाई जा रही स्कीम में किसी वित्तीय सहायता हेतु आवेदन नहीं किया है/ वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की है।

भवदीय/ भवदीया,

किसान के हस्ताक्षर.....

पूरा नाम व पता.....

.....

टेलीफोन/ मोबाईल न०.....

13	मुख्यमंत्री ग्रीनहाउस नवीकरण योजना	हिमाचल प्रदेश के स्थाई सीमांत एवं लघु किसान जिन्होंने कृषि विभाग के माध्यम से 40 से 1000 वर्ग मीटर आकार के पॉलीहाउसों का निर्माण किया है।	70 प्रतिशत अनुदान	आवेदन की कोई फीस नहीं है	कृषि विभाग द्वारा बनाये गये पॉलीहाउस का विवरण तथा 30 प्रतिशत किसान की हिस्सेदारी	निकटतम कृषि प्रसार अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी/विषयवा द विशेषज्ञ (खण्ड स्तर पर)।	फॉर्म
----	--	---	-------------------	-----------------------------------	---	---	-------